

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

1, अरेरा हिल्स, तिलहन संघ भवन, भोपाल

फोन नं 0755 - 2555726 फैक्स नं. 0755 - 2552899 ई-मेल dirpanchayat@mp.gov.in
क्रमांक/पं.रा/बजट/सर्वर/2015-16/15651 भोपाल, दिनांक 28/10/2015
प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत-समस्त,
मध्यप्रदेश।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2015-16 में योजना क्रमांक-8391-त्रिस्तरीय पुरस्कार योजनान्तर्गत निर्विरोध निर्वाचित सरपंच/पंच हेतु ग्राम पंचायतों के लिए पुरस्कार योजना हेतु द्वितीय किश्त का आवंटन जारी करने बाबत।

-0-

म.प्र. शासन वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये मितव्ययता कटौती का आवंटन जारी किया गया है, जिसके तारतम्य में मांग संख्या 74-आयोजनेत्तर मद अंतर्गत निम्न योजनाओं में आवंटन जारी किया जाता है :-

- 1 मांग संख्या-74-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता, शीर्ष-2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-{196/197/198-जिला/जनपद/ग्राम पंचायतों को सहायता}-8391-त्रिस्तरीय पुरस्कार-9999-आयोजनेत्तर-#42-सहायक अनुदान-009-पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु अनुदान अंतर्गत राशि रुपये **15.325लाख (राशि रुपये-पन्द्रह लाख बत्तीस हजार पाँच सौ मात्र)** का आवंटन संलग्न परिशिष्ट अनुसार निर्विरोध निर्वाचित ग्राम पंचायतों के लिये पुरस्कार योजना हेतु द्वितीय किश्त के रूप में आपके जिले को प्रदाय किया जाता है।

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा सौंपे गए आवंटन एवं तद्संबंधी दिए निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए योजनाओं के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय किया जावे :-

- (1) व्यय करते समय शासन के मितव्ययता संबंधी समय-समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जावे। कोई भी व्यय किसी भी परिस्थिति में बजट आवंटन से अधिक न किया जावे।
- (2) व्यय के आकड़ों का मिलान महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर कार्यालय के आकड़ों से करने की जवाबदारी आहरण एवं संवितरण अधिकारी की होगी। व्यय के आकड़ों का मिलान भी महालेखाकार द्वारा निर्धारित तिथि में अनिवार्य रूप से किया जावे।
- (3) व्यय की जानकारी संचालनालय को निर्धारित प्रारूप में अनिवार्यतः प्रत्येक माह की 10 तारीख तक भिजवाने की पाबंदी रखी जाय।
- (4) संचालनालय द्वारा आपको सहायक अनुदान के अन्तर्गत जारी की गयी राशि के समस्त योजनाओं के उपयोगिता प्रमाण-पत्र अनिवार्यतः भेजा जाना सुनिश्चित करें।

निरंतर....

// 02 //

- (5) संचालनालय द्वारा आपको उपलब्ध कराये जा रहे उपरोक्तानुसार बजट का उपयोग नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में जारी किया गया आवंटन लेप्स नहीं होवे इसका ध्यान रखें। आवंटन लेप्स होने की स्थिति में आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्न :-परिशिष्ट

संयुक्त संचालक(वित्त)
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक/पं.रा/बजट/सर्वर/2015-16/15652 भोपाल, दिनांक 28/10/2015
प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
2. उप महालेखाकार(स्थानीय निकाय), मध्यप्रदेश, ग्वालियर को सूचनार्थ।
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, पं.ग्रा.वि. विभाग मंत्रालय भोपाल।
4. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल।
5. सचिव, म.प्र.शासन, पं.ग्रा.वि. विभाग मंत्रालय भोपाल।
6. समस्त, संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
7. समस्त, कलेक्टर, जिला, मध्यप्रदेश।
8. समस्त, कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
9. संयुक्त संचालक(पंचायत), पंचायत राज संचालनालय म0प्र0भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख हैं कि आपके द्वारा प्रस्तावित अनुसार जिला पंचायतों को राशि जारी की जा रही है। कृपया योजना के संबंध में विस्तृत निर्देश एवं सूची जारी करने का कष्ट करें।
10. निज सहायक आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय म.प्र. भोपाल।
की ओर सूचनार्थ।

संयुक्त संचालक(वित्त)
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश

वित्तीय वर्ष 2015-16 में जिला पंचायतों को मांग संख्या-74-योजना
क्रमांक-8391(196/197/198)-त्रिस्तरीय पुरस्कार योजनान्तर्गत निर्विरोध निर्वाचित
सरपंच/पंच हेतु ग्राम पंचायतों के लिए पुरस्कार योजना में द्वितीय किशत से जारी
बजट आवंटन

(राशि रूपयों में)

क्र०	जिले का नाम	द्वितीय किशत से जारी की जा रही राशि			
		196	197	198	कुल राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्यापुर	1150	2301	3600	7051
2	मुरैना	2173	4346	6801	13320
3	भिण्ड	5496	10992	17203	33691
4	ग्वालियर	6391	12781	20002	39174
5	शिवपुरी	6007	12014	18803	36824
6	गुना	7030	14059	22002	43091
7	अशोकनगर	6263	12526	19602	38391
8	दतिया	1789	3579	5601	10969
9	देवास	4729	9458	14803	28990
10	रतलाम	639	1278	2000	3917
11	शाजापुर	639	1278	2000	3917
12	आगर-मालवा	2045	4090	6401	12536
13	मंदसौर	895	1789	2801	5485
14	नीमच	1534	3067	4801	9402
15	उज्जैन	5752	11503	18001	35256
16	इंदौर	4090	8180	12801	25071
17	धार	10097	20194	31605	61896
18	अलिराजपुर	383	767	1201	2351
19	झाबुआ	639	1278	2000	3917
20	खरगौन	5879	11759	18403	36041
21	बड़वानी	2556	5112	8002	15670
22	खण्डवा	1917	3834	6001	11752
23	बुरहानपुर	6902	13804	21602	42308
24	भोपाल	639	1278	2000	3917
25	सीहोर	9969	19939	31204	61112
26	रायसेन	12398	24796	38803	75997
27	राजगढ़	3067	6135	9602	18804
28	विदिशा	13804	27607	43206	84617
29	बैतूल	5112	10225	16002	31339
30	होशंगाबाद	19939	39877	62407	122223




क्र०	जिले का नाम	द्वितीय किशत से जारी की जा रही राशि			
		196	197	198	कुल राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31	हरवा	5624	11247	17603	34474
32	सागर	13548	27096	42405	83049
33	दमोह	5240	10481	16402	32123
34	पन्ना	1917	3834	6001	11752
35	छतरपुर	4346	8691	13603	26640
36	टीकमगढ़	2428	4857	7601	14886
37	जबलपुर	3962	7924	12402	24288
38	कटनी	0	0	0	0
39	नरसिंहपुर	19044	38088	59608	116740
40	छिन्दवाड़ा	21600	43200	67609	132409
41	सिवनी	11120	22239	34806	68165
42	मण्डला	3195	6391	10001	19587
43	बालाघाट	2045	4090	6401	12536
44	रीवा	767	1534	2399	4700
45	सिंगरौली	0	0	0	0
46	सीधी	767	1534	2399	4700
47	सतना	2940	5879	9201	18020
48	उमरिया	639	1278	2000	3917
49	डिण्डौरी	767	1534	2399	4700
50	शहडोल	128	257	400	785
51	अनूपपुर	0	0	0	0
योग		250000	500000	782500	1532500

(Handwritten mark)

(Handwritten Signature)
 संयुक्त संचालक (वित्त)
 पंचायत राज संचालनालय
 मध्य प्रदेश